आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

आई.सी.डी.एस. पुनरीक्षण वाद संख्या–169 / 2019

सीमा देवी

बनाम

राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ ।
06.04.2023	यह पुनरीक्षणवाद 13763 / 2019 में दिनांक 17.07.2019 को पारित आदेश के आलोक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के वाद संख्या–48 / 2015 में दिनांक–06.07.2015 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर दायर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश का अंश निम्नवत हैः– **".This Court directs that the appeal preferred by the petitioner and which has been transmitted to Divisional Commissioner, Muzaffarpur be disposed off as expeditiously as possible, preferably within a period of three months from the date of production/communication of a copy of this order. Needless to state that no order shall be passed by the concerned respondent, without affording reasonable opportunities to the parties to explain their cause. "** आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को अधिग्रहण के बिन्दु पर सविस्तार सुना। प्रश्नगत वाद में इस न्यायालय (तत्कालीन आयुक्त) के आदेश दिनांक–04.06.2022 द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के आदेश पर रोक लगाया गया था। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता ने सुनवाई के दौरान बताया की	

WEB COPY NOT OFFICIAL

प्रश्नगत मामले में सेविका का चयन 2011 के मार्गदर्शिका से हुआ है।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता ने बताया की प्रश्नगत मामले को सुनने की अधिकारिता आयुक्त न्यायालय को नहीं है।

उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत मामले में सेविका का चयन सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका 2011 के आलोक में विज्ञापित प्रकाशन के आधार पर हुआ है। समेकित बाल विकास सेवाएं (आई0सी0डी0एस0) निदेशालय, बिहार पटना के पत्रांक 1780 दिनांक 05.03.2020 में स्पष्ट रूप से अंकित है कि ***"जिस समय चयन हेतु विज्ञापन का प्रकाशन हुआ था और उस समय जो मार्गदर्शिका प्रभावी थी, उसी मार्गदर्शिका के प्रावधान उन मामलो में लागु होंगे तथा उनके चयन से संबंधित विवाद का निष्पादन भी उसी तत्कालीन प्रभावी मार्गदर्शिका के प्रावधान के अनुरूप ही किया जाएगा।"*** चुँकि प्रश्नगत मामला 2011 के मार्गदर्शिका से आच्छादित है। अतएव ऐसे मामलों को सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में इस न्यायालय (तत्कालीन आयुक्त) द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2022 को विलोपित किया जाता है तथा प्रस्तुत वाद को इस न्यायालय में पोषणीय नहीं पाते हुए पोषणीयता के बिंदु अस्वीकृत किया जाता है। साथ ही पुनरीक्षणकर्ता को सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने के निदेश के साथ इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त **आयुक्त**

WEB COPY NOT OFFICIAL